रेल सुरक्षा बल का मिशन स्टेटमेंट

हम :

- रेलवे यात्रियों, यात्री परिसर और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और देख भाल.
- संरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाली यात्रियों का विश्वास बढ़ाना.

उद्देश्य

हम :

- रेलवे यात्रियों , यात्री परिसर एवं रेलवे संपंत्ती को अपराधियों से सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे.
- रेल गाड़ियों में, रेलवे परिसरों और यात्री क्षेत्र से सभी असामाजिक तत्वों को हटाकर यात्री और यात्रा सुरक्षित एवं सुगम बनाना.
- महिलाओं और बच्चों के तस्करी को रोकने के लिए सतर्क रहें और रेलवे क्षेत्रों में पाए जाने वाले निराश्रित बच्चों के पुनर्वास के लिए उचित कार्रवाई करें.
- भारतीय रेलवे की दक्षता और छवि को बेहतर बनाने में रेलवे के अन्य विभागों के साथ सहयोग करना.
- सरकारी रेलवे पुलिस / स्थानीय पुलिस और रेलवे प्रशासन के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना.
- इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी आधुनिक प्रौद्योगिकी, सर्वोत्तम मानव अधिकार प्रथाओं, प्रबंधन तकनीकों और महिला और बुजुर्ग यात्रियों और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय अपनाएं.

यात्री सुरक्षा में रेल सुरक्षा बल की भूमिका

रेलवे सुरक्षा बल विभिन्न प्रणालियों से उभरा है; इसके अस्तित्व के कई रूप हैं और काम करने के कई तरीके हैं क्योंकि ब्रिटिश भारत में रेलवे कंपनियां काम करने की एकरूपता प्रदान करने के लिए थीं, 1959 में आरपीएफ नियम और आरपीएफ विनियम 1966 में प्रकाशित किए गए थे. उसी वर्ष, रेलवे संपत्ति में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की कुछ सीमित शक्तियाँ रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम, 1966 को लागू करके बल को प्रदान किया गया. मुख्य रूप से रेल सुरक्षा बल को रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है. लेकिन, जब रेल सुरक्षा बल अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत एक प्रभावी और अनुशासित बल का रखरखाव करना था,तब रेल सुरक्षा बल नियम और विनियम भी न्यायिक रूप से निराधार पाए गए. रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 को संसद के अधिनियम संख्या 60 के अनुसार 20 सितंबर 1985 को संघ के सशस्त्र बल के गठन और रखरखाव के लिए संशोधित किया गया था.

समिति ने सिफारिश की कि चूंकि रेलवे पर पुलिसिंग राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है, इसलिए रेलवे यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित कुछ मामलों को पुलिस कार्यों से अलग किया जा सकता है और रेलवे सुरक्षा बल को दिया जा सकता है.

समिति ने यह भी सिफारिश की कि रेलवे सुरक्षा बल को यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित अतिरिक्त कर्तव्य दिए जा सकते हैं :

1. संवेदनशील क्षेत्रों में यात्री गाड़ियों की मार्गरक्षण .
2. यात्री क्षेत्रों और परिसंचारी क्षेत्रों में, प्लेटफार्मों पर पहुंच नियंत्रण, विनियमन और सामान्य सुरक्षा प्रदान करना.

रेल मंत्रालय ने समिति की उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया. तदनुसार, रेलवे अधिनियम / रेसुब अधिनियम के एक संशोधन द्वारा रेसुब को अपराधों से निपटने के लिए अधिकार दिया गया है, जो सीधे तौर पर रेलवे के कामकाज से संबंधित है, क्योंकि पुलिस, कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों के साथ व्यस्त है और इनके लिए छोटे अपराधों को निपटने के लिए बहुत कम समय होता है. यह इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में रेसुब अधिनियम और रेलवे अधिनियम में संशोधन किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे पर यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों का सार्थक बनाना है. रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 में इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों को देने के लिए, रेलवे संपत्ति,यात्री क्षेत्र एवं यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेसुब को और अधिक कानूनी शक्तियां प्रदान करने के लिए 23 दिसंबर, 2003 को संसद के अधिनियम 2003 की संख्या सं.52 द्वारा फिर से संशोधित किया गया था.

नवीनतम संशोधन के मद्देनजर रेसुब को निम्नलिखित कर्तव्यों सौंपा गया है : -

1. रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा और रक्षा के लिए;
2. रेलवे संपत्ति के संचालन या यात्री क्षेत्र में बाधा को हटाने के लिए तथा
3. रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए अनुकूल कोई अन्य कार्य करना.

इसके अलावा, यह महसूस किया गया कि रेलवे अधिनियम के तहत मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, रेलवे सुरक्षा बल को पूछताछ करने के लिए और रेलवे अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए सशक्त होना चाहिए और तदनुसार रेलवे अधिनियम को संशोधित किया गया है ताकि आरपीएफ को सशक्त बनाया जा सके. अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों की जांच करना और उन पर मुकदमा चलाना.

निम्नलिखित कारणों से उपरोक्त संशोधन करना आवश्यक था :

1. रेलवे सुरक्षा बल यात्री और उसके सामान को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम होगा, जो बेहतर यात्री सुविधा सुनिश्चित करेगा.
2. स्टेशनों पर अभिगम नियंत्रण को अधिक प्रभावी तरीके से विनियमित किया जा सकता है और यात्री क्षेत्र और संचलन क्षेत्र में प्लेटफार्मों पर सामान्य सुरक्षा सुदृढ़ होगी.
3. रेलवे अधिनियम के तहत सशक्तीकरण अधिक सुगम गाड़ी परिचालन सुनिश्चित करेगा क्योंकि रेलवे अधिनियम के कई धाराएं परेशानी मुक्त गाड़ी परिचालन के उद्देश्य से हैं.
4. रेसुब को नई ज़िम्मेदारियाँ सौंपने का अर्थ होगा मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग.
5. रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों के खिलाफ किसी भी संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए कदम उठा सकेगा और इस तरह के अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए कानूनी रूप से सशक्त भी होगा.

रेसुब और रेलवे अधिनियम में संशोधन की शुरुआत के साथ, रेसुब को रेलवे अधिनियम के मामलों में जांच करने की शक्तियों के साथ निहित किया गया है. रेसुब ने चुनौती स्वीकार कर ली है.

सरकारी रेलवे पुलिस की भूमिका

सरकारी रेलवे पुलिस के कर्तव्यों को उनके अधिकार क्षेत्र के क्षेत्रों के संबंध में सामान्य रूप से उनके प्रभार वाले क्षेत्रों में जिला पुलिस के अनुरूप माना जाता है. राजकीय रेलवे पुलिस के पास निम्नलिखित विशेष कर्तव्य हैं:

(i) रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शब्द "आदेश" कर्तव्यों में शामिल हैं :–

a. स्टेशन परिसर के भीतर यात्रियों के भीड का नियंत्रण, विशेष रूप से प्लेटफार्मों पर, बुकिंग कार्यालयों, प्रतीक्षा हॉल, प्रवेश और निकास द्वार पर और स्टेशन अधिकारियों द्वारा आपात स्थिति में विशेष रूप से जहां भी आवश्यक हो;
b. स्टेशन परिसर में वाहनों और अन्य यातायात का नियंत्रण;
c. स्टेशनों पर रुकी हुई पैसेंजर ट्रेनों में ऑर्डर के रखरखाव और कैरिज में अधिक भीड़ को रोकने के लिए;
d. स्टेशन में खड़ी यात्री ट्रेनों का पर्यवेक्षण;
e. उपद्रव करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी, संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को हटाना और स्टेशन परिसर को भिखारियों से मुक्त रखना;
f. टर्मिनल स्टेशनों पर आगमन पर खाली गाड़ियों में यात्रियों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के लिए जांच और गाड़ी का निरीक्षण करना कि फिटिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई;
g. ट्रेनों या स्टेशन परिसर में मरने वाले व्यक्तियों के शवों को निकालना और बीमार यात्रियों को अस्पताल में;

(ii) रेलवे अधिनियम के तहत उचित अधिकारियों रेलवे या सिविल को अपराधों और रेलवे कर्मियों की ओर से धोखाधड़ी या उत्पीड़न के मामले की रिपोर्ट करने के लिए;

(iii) रेलवे पर होने वाली दुर्घटनाओं की पूछताछ करना;

(iv) रेलवे अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए और अब तक यात्रा करने वाली जनता को सहायता के लिए पुलिस अधिकारियों के रूप में अपने स्वयं के कर्तव्यों के साथ संगत है.

रेलवे पर अपराध की रोकथाम और उसे पता लगाने के लिए आम तौर पर सरकारी रेलवे पुलिस जिम्मेदार होती है. स्टेशनों और पार्सल कार्यालयों में माल-शेड, माल-वैगन की सुरक्षा रेलवे पुलिस की नहीं, बल्कि रेलवे सुरक्षा बल की है.

कर्मचारियों की स्थिति: (राजपत्रित और लिपिकीय वर्ग को छोड़कर)

क्र.सं.	स्कंध	स्वीकृत पद								
		निसुब	उपनिसुब	सउपनिसुब	प्र.कानस्टेबल	कानस्टेबल	सफाईवाला	प्रदान रसोईया	वाटर कैरियर	कुल
1	कार्यकारी	9	14	21	67	116	0	0	0	227
2	एसआईबी यूनिट	0	1	3	2	3	0	0	0	9
3	श्वान दस्ता	0	0	1	2	3	0	0	0	6
4	सहायक	0	0	0	0	0	1	1	1	3
5	ड्राइवर	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	कुल	9	15	25	71	122	1	1	1	247

परिक्षेत्र

गुंटूर मंडल :

से	तक	दूरी कि.मी.	लाइन	कर्षण
कृष्णा केनल जं.(छोड़कर)	गुंटूर जं.	25.36	दोहरी	विद्युत
गुंटूर जं.	नल्लपाडु जं.	5.00	दोहरी	विद्युत
तेनाली जं.(छोड़कर)	गुंटूर जं.	24.27	दोहरी	विद्युत

नल्लपाडु जं.	पगिडिपल्ली जं.(छोड़कर)	238.49	एकहरी	विद्युत
नल्लपाडु जं.	नंद्याल(सहित)	256.91	एकहरी	विद्युत
रेपल्ले	तेनाली जं.(छोड़कर)	32.06	एकहरी	विद्युत
नडिकुडि जं.	माचर्ला	35.10	एकहरी	विद्युत
विष्णुपुरम	जानपहाड़	10.64	एकहरी	विद्युत
गुंटूर बई पास लाइन		1.94	एकहरी	विद्युत
कुल कि.मी.		**629.72**		

रेसुब चौकी का परिक्षेत्र:

चौकी	से	तक	दूरी कि.मी.
गुंटूर	कृष्णा केनल	नुदुरूपाडु	**55**
	गुंटूर	रेपल्ले	**56**
	नल्लपाडु	सत्तेनपल्ली	**37**
नरसरावपेट	नुदुरूपाडु	कंबम	**142**
नंद्याल	कंबम	नंद्याल	**94**
नडिकुडि	सत्तेनपल्ली	पोंदुगला	**70**
	नडिकुडि	माचर्ला	**35**
नलगोंडा	पोंदुगुला	पगिडिपल्ली	**130**
	विष्णुपुरम	जानपहाड़	**11**
			630

आधुनिक गैजट

क्र.सं.	**खीरीदे गए उपकरण**	**स्थापना का स्थान**	**अभ्युक्ति**
01	नाइट विजन डिवाइस	सभी चौकी एवं बाहरी चौकी	उपलब्ध: 20
02	डीएफएमडी	गुंटूर चौकी-1 नलगोंडा चौका-1	उपलब्ध: 02
03	एचएचएमडी	सभी चौकी एवं बाहरी चौकी	उपलब्ध 22
04	ट्रॉली आईना	गुंटूर चौकी-1	उपलब्ध: 08

05	फोल्डिंग स्ट्रक्चर	सभी चौकी	उपलब्ध: 19
06	पॉली कारबोनेट लाठी	सभी चौकी एवं बाहरी चौकी	उपलब्ध: 166
07	पॉली कारबोनेट शील्ड	-वही-	उपलब्ध: 42
08	नइलोन रस्सी	-वही-	9800 मीटर
09	वीएचएप सेट	सभी चौकी एवं बाहरी चौकी	उपलब्ध: 05
10	आपाती लाइट	सभी चौकी एवं बाहरी चौकी	उपलब्ध: 14
11	पोलिस्टर टेंट	-वही-	उपलब्ध: 10
12	फ्लोरोसेंट टैप	-वही-	5800 मीटर
13	टॉप फिटिंग के साथ हेड लाइट हेलमेट	सभी चौकी	उपलब्ध: 05
14	फिगर प्रिन्ट किट	सभी चौकी एवं बाहरी चौकी	उपलब्ध: 29
15	पॉली कारबोनेट	डी.आर. गुंटूर	उपलब्ध: 15
16	डिजीटल हैंडी कैम	उपलब्ध भंडार	उपलब्ध: 04
17	शीन गार्ड	सभी चौकी एवं बाहरी चौकी	उपलब्ध: 50

सीसीटीवी

सीसीटीवी :

गुंटूर मंडल में तीन स्टेशनों पर सीसीटीवी प्रणाली स्थापित है.सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के विवरण इस प्रकार हैं.

क्र.सं..	चौकी/बाहरी चौकी	सीसीटीवी कैमरो की संख्या
01	गुंटर-चौकी	45
02	नंद्याल – चौकी	11
03	नलगोंडा-चौकी	09
कुल		**65**

टिप्पणी: निर्भया निधी के अंतर्गत डी,ई,एफ संवर्ग के अधीन कु 56 स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव है,जो वमंसिवदूसंइंजी के पास लंबित है.

रेसुब का निष्पादन

आरपी(यूपी) अधीनियम

वर्ष	पंजीकृत मामलों की संख्या	डिटेन किए गए मामलों की संख्या	चुराए गए संपत्ती का मूल्य	बरामद संपत्ति का मूल्य	की गईं गिरफ्तारियां		
					ओ. एस.	आर. ई.	रेसुब
2019	43	43	252400	262400	54	02	--

2020	18	18	41370	41430	26	--	--
2021 (जून तक)	17	17	323832	321374	30	--	--

रेलवे अधीनियम

वर्ष	पंजीकृत मामलों की संख्या	जुर्माना के रूप में वसूल की गी राशि
2019	6978	1314350
2020	2027	443850
2021 (जून तक)	202	73700

टाउट गतिविधीयों के अंतर्गत निष्पादन:

माह एवं वर्ष	पंजीकृत मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	जब्त किए गए टिकटों की संख्या		जब्त किए गए टिकटों का मूल्य रुपयों में		ब्लॉक किए गए आईआरसीटीसी उपयोगकर्ता आईडी की संख्या
			भविष्य की यात्रा	अतीत की यात्रा	भविष्य की यात्रा	अतीत की यात्रा	
2019	20	20	217	427	288200	579020	75
2020	24	24	290	1077	548186	1626238	206
2021 (जून तक)	12	13	40	170	34634	179758	42

रेल मदद सुरक्षा हेल्प लाइन:

मंडल सुरक्षा नियंत्रम कक्ष में 02 यात्री सुरक्षा हेल्प लाईन स्थापित है. ऑन ड्यूटी स्टाफ हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त सभी कॉल अटैंड कर रहै हैं. आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्रभारी अधिकारी को सूचित कर रहै हैं और तदानुसार ऑनलाइन के माध्यम से बंद कर रहै हैं.

अच्छे कार्य

बच्चों का बचाव :

वर्ष	बचाव किए गए बच्चों की संख्या
2019	58
2020	18
2021(जून तक)	15

जो लोग घर छोड़कर भाग गए हैं, उन्हें आरपीएफ कर्मियों ने रेस्क्यू कर लिया है. उक्त बच्चों को उनके माता-पिता और चाइल्ड हेल्पलाइन केंद्रों को सौंप दिया गया.

सामान की पुनः प्राप्ति :

वर्ष	मामलों की संख्या	मूल्य रूपयों में
2019	96	32,01,370/-
2020	46	13,97,270/-
2021(जून तक)	37	5,41,565/-

रेल सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा सामान, पावती लेकर मालिकों को सौंप दिया गया था. सभी यात्रियों ने **रेसुब** विभाग द्वारा प्रदान की गई सेवा की सराहना की है

कोविड -19 महामारी के दौरान हुए लॉक डाउन अवधि के समय रेसुब की भूमिका

1. **श्रमिक स्पेशल का अभिरक्षण**

   लॉक डाउन के दौरान रेसुब के जवानों ने बिना किसी टिप्पणी के गुंटूर मंडलसे होकर गुजरने वाली 122 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का अभिरक्षण किया. गुंटूर मंडल से गुजरने वाली श्रमिक स्पेशल के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.

2. **रेलपथ के पास प्रवासी श्रमिकों के आवाजाही को रोकना**

लॉक डाउन के दौरान, प्रवासी श्रमिकों को रेलपथ पर आवाजाही को रोकने के लिए **रेसुब** कर्मियों ने जीआरपी के साथ रेलपथ पर गश्त किया है. इसके अलावा, रेसुब विभाग ने रेलवे के सहयोगी विभागों की सहायता से रेलपथ पर कड़ी निगरानी रखी और रेलवे ट्रैक पर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही रोका है.

3. **टीकाकरण :**

लॉक डाउन के दौरान, 210 कर्मचारियों में से 206 कर्मचारियों ने दवा की पहली खुराक ली है और 208 ने दूसरी खुराक भी ली है, इसके अलावा 04 लिपिकीय कर्मचारी ने भी दोनों खुराक ले ली हैं.

*****